छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

एफ-22-49 / 2016 / पैंतीस

का विभाग

विषय- याचिका कमांक WP 1150/16 द्वारा श्री रविन्द्र दिनकर इंगले, जिला बुरहानपुर विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

(1) पंजी कमांक 978/2016, दिनांक 24.2.2016

- (2) पंजी कमांक 1138/2016, दिनांक 29.2.2016
- (3) पंजी कमांक 1195/2016, दिनांक 1.3.2016

कृपया विचाराधीन पत्रों का अवलोकन करें। मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर खण्डपीठ इन्दौर में दायर याचिका कमांक WP 1150/16 द्वारा श्री रविन्द्र दिनकर इंगले,जिला बुरहानपुर दायर की गई है।

श्री इंगले द्वारा उक्त याचिका नियमितिकरण हेतू दायर की गई है।

प्रकरण में संचालक, पशुपालन द्वारा शासन की ओर से पक्ष समर्थन एवं प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेत् उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला बुरहानपुर को प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

यदि मान्य हो तो संचालक पशुपालन के प्रस्तावानुसार उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं जिला बुरहानपुर को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।


तदनुसार प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्र. अ. यथा प्रस्तावित

52.16

P-11 L

नसी क.1228 /प्र.स.पियुपा/201 आवक दिनाक ० S / 3 75.91 दिनाक



http://172.25.186.5/cishcbom/Demo/menu.php

BY. REGD. A.D. POST

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

ld: 10004/2016

WP/1150/2016

From

Deputy Registrar, High Court of Judicature at Indore

पश्च पालन विभाग Admission Returnable for 18/03/2016 Fixed for 04-04-2016 WP-DA-2 Respondent No. 1

To,

State of Madhya Pradesh, Through Principal Secretary, Animal Husbandry Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopai, District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

2502-16

Indore 15-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 1150/2016

Sir/Madam.

I am directed to inform you that one Ravindra Dinkar Ingle has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/1150/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 18-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Your's faithfully



मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय, वल्लम भवन—462004

आदेश

भोपाल, दिनांक मार्च, 2016

कमांक एफ-22-49/2016/पैंतीस — प्रकरण में सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला बुरहानपुर को प्रकरण कमांक WP 1150/2016 श्री रिवन्द्र दिनकर इंगले में मध्यप्रदेश राज्य शासन के लिए तथा शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसांजात होने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में, जिनमें ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(1) प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेंगे जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया जाता है तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।

(3) वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।

(5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेंगे :--

(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूचि जिन्हे साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए.

- (7) मामले के तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव अवगत रखना।
- (8) जब कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में, रिपोर्ट बनाने में, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है तथा तब वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- (12) प्रमारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाए।

(13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की

जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकम में पारित किए गए किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उन आदेशों की प्रति जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> > (कलिस्ता कुजुर)

अवर सचिव ८ ८ मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2016

पु.कमांक एफ-22-49/2016/पैतीस प्रतिलिपि-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

2. संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

3. कार्यालय-महाधिवक्ता उच्च न्यायालय इन्दौर।

4. उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला बुरहानपुर प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

८ मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग